an>

Title: Regarding providing credit to farmers under Kishan Credit Card.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, आज मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि एनडीए की सरकार ने 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की थी। उस योजना के अंदर 3 लाख रूपए 7 पर्सेंट इंट्रेस्ट पर किसान को दिया गया था और 3 पर्सेंट सब्सिडी केन्द्र सरकार देती थी। अगर किसान छः महीने तक पैसा नहीं लौटा पाते थे तो उन पर तीन प्रतिशत का ब्याज लगता था। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से आमजन के खर्चे बढ़े हैं, छः महीने के अंदर गेहूं की फसल भी, किसान बुआई के बाद कटाई और मंडी में ले जाकर अपना ब्याज नहीं चुका पाता है। आखिर में किसान को सात प्रतिशत ब्याज चुकाने पड़ते हैं।

मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि तीन लाख रुपये की जो लिमिट है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, भारत सरकार इसको बढ़ा कर आठ लाख रुपये करने का काम करे और इंटरैस्ट रिपेमेंट का टाइम छः महीने का है, छः महीने में किसान की एक फसल नहीं आती, उसे कम से कम एक साल करने का काम करे, जिससे एक फसल से जो प्रॉफिट हो, उससे वे अपना घर चला सकें। आज सभी किसानों की बात करते हैं, चाहे वह पानी की हो या बिजली की हो, मगर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बारी-बारी कहा है कि हमने किसानों के बारे में सोचा है।

सबसे अहम मुद्दा यही है कि इस योजना के तहत इंटरेस्ट रिपेमेंट का टाइम एक साल किया जाये और लिमिट की राशि तीन लाख रुपये से बढ़ा कर आठ लाख रुपया किया जाये। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : यह ठीक है। आपने सब्जैक्ट वेंज किया है।